

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-191 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लिटा संग्रा

1. हेमंत गुड़िया वो 2. सियोन टुटी

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

04.11.20

## आदेश

आवेदक लिटा संग्रा पिता स्व० दुर्गा संग्रा ग्राम-डुंगरा, पो०-फुदी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने 1. हेमंत गुड़िया पिता मसीह दास गुड़िया ग्राम-तिरला, पो०+थाना-खूँटी, जिला-खूँटी वो 2. सियोन टुटी पिता लेमसा टुटी ग्राम-जामड़ी, मारंगडीह, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
डुंगरा	217	48	1845	0.71

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0820192416 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 881 दिनांक 29.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधुवा पाहन वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार निवाई पाहन वगैराह के नाम भूमि का 38.56 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 6.42 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 6558.00(छः हजार पांच सौ अन्टावन)रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.71 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लिटा संग्रा पिता स्व० दुर्गा संग्रा को 1. हेमंत गुड़िया पिता मसीह दास गुड़िया वो 2. सियोन टुटी पिता लेमसा टुटी के साथ ग्राम डुंगरा के खाता सं० 48 खेसरा संख्या 1845 कुल रकबा 0.71 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6558.00(छः हजार पांच सौ अन्टावन)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।